<u>न्यायालय उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)–II, कहलगॉव, भागलपुर</u>

पीठासीन पदाधिकारीः– मो0 तसनीम कौसर

<u>दीवानी वाद संख्या–145 / 2019</u>

कन्हैया तिवारी व अन्य..(वादीगण)

बनाम

अनिल कुमार तिवारी व अन्य...(प्रतिवादीगण)

<u>आदेश</u>

<u>22.07.2025:–</u>

वादी की पैरवी है। उपस्थित प्रतिवादी की पैरवी नही है। वाद का पुकार किया गया, पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनका कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण अनुज कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार पाण्डेय, मुकेश कुमार पाण्डेय, रूपम पाण्डेय, रीता पाण्डेय, सरिता पाण्डेय एवं मीणा भोक्ता की उपस्थिति हेतु सारी प्रक्रिया कर ली गई है। फिर भी आज तक वे उपस्थित नही हुए है। अतः उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण अनुज कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार पाण्डेय, मुकेश कुमार पाण्डेय, रूपम पाण्डेय, रीता पाण्डेय, सरिता पाण्डेय एवं मीणा भोक्ता की उपस्थिति हेतु चला आ रहा है। उक्त प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। साथ ही गजट प्रकाशन की कार्यवाही भी की जा चुकी हैं। अभिलेख के साथ गजट प्रकाशन का समाचार पत्र एवं original postal रसीद एवं नजारत का तामिला प्रतिवेदन भी संलग्न है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी है परंतु वो आज की तिथि तक फिर भी उपस्थित नही हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में **प्रतिवादीगण अनुज कुमार पाण्डेय, मनीष कुमार पाण्डेय, मुकेश कुमार पाण्डेय, रूपम पाण्डेय, रीता पाण्डेय, सरिता पाण्डेय एवं मीणा भोक्ता** के विरूद्ध वाद मे एकपक्षीय सुनवाई नियत की जाती है।

उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगॉव(भागलपुर)

<u>पश्चात्</u>
22.07.2025:–

पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्षों को वाद पद निर्धारण के बिन्दु पर सुना। वाद पद का निर्धारण किया गया जो कि अलग से एक पन्ने में अभिलेख के साथ संलग्न है।

वाद दिनांक 28.07.2025 वास्ते वादी साक्षी–सूची एवं साक्षी प्रस्तुत करें।

उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगॉव(भागलपुर)